उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

७/७/२३ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आ० वादग्रस्त से सम्बन्धित पटवार रिपोर्ट तहसीलदारानुसार वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सं० फैसला किया गया। अमल हेतु तहसीलदार लालसोट लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : उपजिलाधीश, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 129 / 2019

दिनांक रजु :– 28|8|19

पीठासीन अधिकारी

श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. गंगासहाय
2. गोविन्दनारायण
3. रामराय
4. सीताराम
5. राजेन्द्र

पि0 हरिकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी तालेड़ा जमात कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. जयनारायण पुत्र नन्दराम जाति ब्रह्मण निवासी तालेड़ा जमात कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :7/7/23

उपस्थित :– श्री लेखराज शर्मा एडवोकेट – वादीगण की ओर से

प्रतिवादी संख्या 1 की एकपक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 2 की एकपक्षीय कार्यवाही

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 3224 रकबा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट में स्थित है। आराजी वादग्रस्त की खातेदारी वर्तमान राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। जबकि आराजी वादग्रस्त भूमि पर आज से 70 वर्ष पूर्व से ही वादीगण एवं उसके पूर्वज निरन्तर व निर्बाध रूप से काष्त कर अपने परिवार का पालण पोषण करते आ रहे है। वर्तमान मे भी वादीगण ने फसल बो रखी है। जो मौके पर मौजुद है। आराजी वादग्रस्त के वर्तमान राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्षनीय तौर पर अंकित

उपखण्ड अधिकारी

लालसोट जिला दौसा (राज0)

Scanned with CamScanner

है। जबकि आराजी वादग्रस्त से प्रतिवादी संख्या 1 या उसके वारिसान का कभी भी अर्सा लगभग 70 वर्षो से कोई सरोकार वास्ता नही रहा तथा नही वर्तमान में है। आराजी वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 3224 रकबा 14 बिस्वा का कब्जा वादीगण के पिता के नाम अर्सा करीब 70 वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिसका अंकन खसरा गिरदावरी सम्वत 2028 से 2035 तक का वादीगण के पिता के नाम से हो रहा है। नकल जमाबंदी व खसरा गिरदावरी वाद पत्र के साथ सलंग्न है। आराजी वादग्रस्त भूमि का आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पिता स्व. हरिकिषोर जी को बेचान कर कब्जा संभला दिया था एवं बेचान के समय यह आष्वासन दिया था कि सरकारी कागजात मे उसके नाम उक्त भूमि को करवा देगा। उस वक्त वादीगण व उसके पिता कानूनी कार्यवाही मे नही समझते थे इस वजह से सरकारी कागजात मे वादीगण व उसके पिता का नाम आराजी वादग्रस्त का इन्द्राज नही हो पाया। क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण के पिता के मध्य किसी प्रकार का कोई अविष्वास नही था तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता के कब्जा संभला दिया था। उक्त भूमि के संबंध में वादीगण के पिता स्व. श्री हरिकिषोर जी समाज व गांव के पंच पंटेलो की कई बार मिटिंग करवाई जिसमे मौजुदा पंचगणो ने आम सहमति से प्रस्ताव लिया कि उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के पिता के हक मे बेचान करने पर सरकारी कागजात मे उसके नाम कराने बाबत हमारे गवाह वगै0 की जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय मे जाकर वादीगण के हक मे आराजी वादग्रस्त भूमि को नाम करवाने बाबत बयान दे देगें। वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य किसी प्रकार का अविष्वास नही था ओर ना ही दोनो को कानूनी जानकारी थी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पिता को यह आष्वासन दिया था कि मै तुम्हारे नाम के सरकारी कागज बनवाने के लिए अर्जी पेश कर दूंगा। इसिलए तुम निष्चिन्त रहो तुम्हारे नाम खातेदारी भूमि लग जायेगी। पूर्व में आराजी वादग्रस्त के बाबत कोई विवाद नही था परन्तु दिनांक 26–08–19 को वादीगण द्वारा तहसील कार्यालय पर पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड देखने पर पता चला कि वर्तमान मे खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे है। जबकि आराजी वादग्रस्त भूमि पर अर्सा करीब 70 वर्ष पूर्व से वादीगण एवं उसके परिवारजन काबिज काष्त है। इसी वजह से वादीगण को अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद

उपखण्ड अधिकारी
तालसीर [illegible] (राज0)

Scanned with CamScanner

हैतूक उत्पन्न हुआ है। वादीगण आराजी वादग्रस्त पर बजमाने बुजुर्गान अर्सा करीब 70 वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने आज तक वादीगण के खिलाफ बेदखली की कोई कार्यवाही नही की है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के आराजी वादग्रस्त पर से धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर खातेदारी अधिकार विलुप्त हो चुके है एवं वादीगण के प्रतिकूल कब्जे के सिद्वान्त के अनुसार आराजी वादग्रस्तपर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो गये है। वादीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह इस आषय की उद्घोषणा जारी करावे कि आराजी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कदीमी कब्जा है तथा अर्सा करीब 70 वर्ष पूर्व से आराजी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। इस वजह से वादीगण को कानूनी प्रावधानानुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए आराजी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करते हुए वादीगण का नाम खातेदारी उद्घोषणा के आदेश फरमावें। वादीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे कि प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त भूमि का रहन, बेचान, हस्तान्तरण करने से व आराजी वादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न करने से प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजुद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत कर पत्रावली मे वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य पी.डब्लू–1 गंगासहाय, पी.डब्लू– 2 गोविन्दनारायण, पी.डब्लू–3 रामराय, पी. डब्लू–4 सीताराम, पी.डब्लू–5 राजेन्द्र, पी.डब्लू–6 शंकरलाल, पी.डब्लू–7 भगवानसहाय के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नं0 3224 रकबा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट मे प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित है तथा तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी पर वादीगण द्वारा फसल काश्त की जा रही है इसलिए वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेशित फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं आराजी खसरा नं0 3224 रकबा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट वाली भूमि वादीगण की कृषि भूमि है में वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित होना चाहिए था तथा वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादीगण उक्त आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 3224 रकबा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट मे वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कर अमल दरामद हेतू तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दप्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपजिला कलेक्टर लालसोट